

पत्र संख्या-14/सै0-2-0-7/97-601/रा0,
बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री संत शारणा
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्ता/सभी उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 17-8-98ई0

विषय- सैरातों की बंदोबस्ती हेतु शक्तियों का पुनर्निर्धारण ।

सारांश,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के पत्र संख्या 7095/रा0 दिनांक

6.8.1968 सैरात के निम्नलिखित का पृष्ठ 738 जिसके द्वारा सैरातों की बंदोबस्ती हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की शक्ति निर्धारण की गई थी को सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा सशोधित करते हुए अब विभिन्न पदाधिकारियों की शक्ति निम्न रूप से पुनर्निर्धारित की गई है :-

- 18 अंचलाधिकारी-5000/-रु0 पाँच हजार रु0 तक
- 22 अनुमंडल पदाधिकारी-20,000/-रु0 बीस हजार रु0 तक
- 38 समाहर्ता/अपर समाहर्ता-50,000/-रु0 पचास हजार रु0 तक
- 44 प्रमंडलीय आयुक्त-1,00,000/-रु0 एक लाख रु0 तक
- 52 1,00,000.00 रु0 एक लाख रुपये से अधिक के सैरातों की बंदोबस्ती की स्वीकृति सरकार द्वारा की जायेगी ।

2- उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार कृपया सैरातों की बंदोबस्ती की जाय ।

3- यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन
ह0/- संत शारणा
सरकार के उप सचिव ।

आपके 601 / रा0, पटना-15, दिनांक 17.8.98

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त / अपर समाहर्ताओं / अनुमंडल पदाधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- संत शारणा
सरकार के उप सचिव ।